

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक: प.6 लेखा / RTIDF / जेसीटीएसएल / डीएलबी / 2012-13/९५८३

दिनांक : 19/09/2019

-स्वीकृति आदेश:-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की 11वीं बैठक दिनांक 03.08.2017 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 16393 दिनांक 14.08.2017 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 11.4.4 एवं 13वीं बैठक दिनांक 07.09.2018 के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 40803 दिनांक 20.09.2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 13.4.9 में लिए के निर्णय के क्रम में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जयपुर को वर्ष 2017-18 की संचालन हानि के विरुद्ध राशि रु. 300.00 लाख तथा वर्ष 2018-2019 की संभावित संचालन हानि के विरुद्ध राशि रु. 612.00 लाख कुल राशि रुपये 912.00 लाख (अक्षरे रुपये नौ करोड़ बारह लाख मात्र) जेसीटीएसएल के निजी निष्केप खाते में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं—

(राशि लाख रु. में)

विकलेय मद	जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या - 29 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [02] - जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	626.79
मांग संख्या - 51 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [06] - जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिए) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	162.37
मांग संख्या - 30 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [04] - जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(अनुसूचित जनजातियों के लिए) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	122.84
कुल योग	912.00

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी की गई है—

- जेसीटीएसएल राशि का व्यय आरटीपीपी एक्ट-2012/रूल्स 2013, संबंधित नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- जेसीटीएसएल राशि का उपयोग आरटीआईडीएफ की संचालन समिति के निर्णय में उल्लेखित उद्देश्य हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- जेसीटीएसएल आगे राशि रिलीज करवाने से पूर्व उपयोगिता प्रमाण-पत्र/अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
- जेसीटीएसएल संचालन हानि न्यूनतम करने के निर्णय की पालना सुनिश्चित करेगा।
- इस राशि को बैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जा सकेगा। राशि का पीड़ी खाते से आहरण निधियों की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
- जेसीटीएसएल से राशि जारी के से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि RTIDF के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पूर्ण पालना की गई है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.ली. क्रमांक 171900101 दिनांक 15.02.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार में जारी की जाती है।



(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6 लेखा/RTIDF/जेसीटीएसएल/डीएलबी/2012-13/२५८४-९५ दिनांक: १९/०१/२०१७
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक) / (लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय), राज०जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज० जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-३) विभाग, राज० जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर।
9. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को ०५ अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन हैं राशि रु. ९१२.०० लाख (अक्षरे रूपये नौ करोड़ बारह लाख मात्र) राजस्थान जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर के निजी निक्षेप खाता संख्या ५७४६ में हस्तान्तरित करने का श्रम करावें।
10. कौषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
11. प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रभारी अंक मिलान शाखा।


(एस.आरू.मीणा)
परियोजना निदेशक